10.08.2022

2022/249

15.10.22

जोगो स्टेमनर्स, भीलवाड़ा ☎ 230289 14.12.22
ता. पेकी स्टेम 10/5/23
25/10/23

जनरल रूल्स [redacted] फार्म नम्बर 8 के
न्यायालय उपख[redacted]ला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नम्बर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	फैसला क्रमांक
1	2	3	4	5
धारा 212	264/2022	30/06/2022		

अनवान

श्री फूलचन्द पुत्र भंगीलाल धाकड़ श्री कमलेश पुत्र भंगीलाल धाकड़

V/S

निवासी छोटा धड़ोदा निवासी छोटा धड़ोदा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार

रेस्पाडेन्ट / अवयूनाव

श्री घनश्याम लाल धाकड़ श्री RPD

2022/249

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
धारा 212	264/2022	30/6/2022	Not pressed 17/10/24	20/8/24 01/9/24 01/10/24 17/10/24

अनवान

श्री फुलचन्द S/o मांगीलाल धाकड़ निवासी छोटा चंडोदा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री धनराज धाकड़

श्री कमलेश S/o मांगीलाल धाकड़ निवासी छोटा चंडोदा

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

मदयून

श्री .....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

फूलचन्द धाकड़ नि0 छोटा थड़ौदा **बनाम** कमलेश धाकड़ नि0 छोटा थड़ौदा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधिनियम

प्रकरण संख्या 264 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.06.2022	प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री घनश्याम धाकड़ ने अन्तर्गत धारा 212 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा स्थित खसरा नम्बर 51/12 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि एवं इसी ग्राम में स्थित आराजी नम्बर 51/14 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में निहित हैं। उक्त प्रकरण में मूल वाद का निस्तारण नहीं होने तक विपक्षी नम्बर 1 को प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी नही करने, कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने, पुश्तैनी शामलाती आराजीयात का हस्तांतरण किसी अन्य के पक्ष में नहीं करनें तथा रेकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनायें रखने हेतु विपक्षी नम्बर 1 को **अस्थाई निषेधाज्ञा** जारी करना फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं मनन किया। जिससे ज्ञात होता हैं कि उक्त प्रकरण में ग्राम थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा स्थित खसरा नम्बर 51/12 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि एवं इसी ग्राम में स्थित आराजी नम्बर 51/14 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में मौका एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु **अस्थाई निषेधाज्ञा** जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी नम्बर 01 को इस आशय की **अस्थायी निषेधाज्ञा से अग्रिम आदेश** तक पाबन्द किया जाता हैं कि ग्राम थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा स्थित खसरा नम्बर 51/12 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि एवं इसी ग्राम में स्थित आराजी नम्बर 51/14 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के 1/2 हक हिस्से में विपक्षी संख्या 01 द्वारा रेकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनायें रखने हेतु **अस्थाई निषेधाज्ञा** जारी की जाती हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई वास्ते तल्बी दिनांक 10/08/2022 को पेश हों। (सीमा तिवाड़ी) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा	
10.08.2022	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. ना. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 31.08.2022 को वास्ते तल्बी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 20/8/24 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवा

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 10/9/24 को पेश हो

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 11/10/24 को वास्ते ~~जार~~ बहस पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली अधिवक्ता द्वारा Not Press ले ली गई। पत्रावली को Not Press खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्त हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा